राजस्थान सरकार

औषधि नियत्रंण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राज0)

क्रमांकः डीसी/ए–2/2018/एसपी–1 दिनांकः 16.03.2018

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक एवं
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी
राजस्थान

विषयः– शिड्यूल एच–1 के अन्तर्गत एन्टी टीबी औषधियों के विक्रय के संबंध में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के लिये संबंधित जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भः– शिफू में दिनांक 07.12.2017 को आयोजित हुई बैठक मय बैठक कार्यवाही विवरण तथा संगठन के पत्र क्रमांक डीसी/ए–2/26 दिनांक 17.01.2018।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त संदर्भो के द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर जानकारी संबंधित खुदरा औषधि विक्रेताओं द्वारा चाही गयी थी। संगठन द्वारा इस बाबत् Monitoring किये जाने के निर्देश प्राप्त किये गये थे परन्तु पूर्ण रूप से वांछित सूचनाये संबंधित विभाग को प्राप्त नही होने की जानकारी आयी है जिसे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

अतः निर्देशानुसार राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के **अन्तर्गत वर्तमान में माह दिसम्बर 2017 से मार्च 2018 (15.03.2018)** तक की सूचना निम्न प्रकार से संगठन के **ई–मेल drugcontrolraj@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी Excel Sheet- Times New Roman English Font एवं साथ ही हार्ड कॉपी दिनांक 22.03.2018** तक उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता करें–

1. राजस्थान राज्य के जिलों में पदस्थापित औषधि नियंत्रण अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र की सूचना संबंधित खुदरा औषधि विक्रेताओं/जिला केमिस्ट ऐसोसिएशन से निम्न प्रारूप में सहायक औषधि नियंत्रक को प्रस्तुत करें।

प्रारूप

औषधि नियंत्रण अधिकारी का नाम व जिले का नाम मय आवंटित क्षेत्र	कुल खुदरा औषधि विक्रेताओं की संख्या	कुल खुदरा औषधि विक्रेताओं की संख्या जिनके द्वारा सूचना भेजी गई	रोगियो की संख्या जिन्हे औषधि विक्रय की गई	रीपिट (एक से अधिक बार उन्ही रोगियों) रोगियों की संख्या जिन्हे औषधि विक्रय की गई

2. राजस्थान राज्य के जिलों में पदस्थापित औषधि नियंत्रण अधिकारी के द्वारा बिन्दु संख्या 01 की सूचना संबंधित सहायक औषधि नियंत्रक को प्रेषित करने के उपरांत निम्न प्रारूप में सहायक औषधि नियंत्रक के स्तर से इकजाई कर संगठन को प्रस्तुत करें।

प्रारूप

जिले का नाम	कुल खुदरा औषधि विक्रेताओं की संख्या	कुल खुदरा औषधि विक्रेताओं की संख्या जिनके द्वारा सूचना भेजी गई	रोगियो की संख्या जिन्हे औषधि विक्रय की गई	रीपिट (एक से अधिक बार उन्ही रोगियों) रोगियों की संख्या जिन्हे औषधि विक्रय की गई

3. सहायक औषधि नियंत्रक व औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जिला क्षय अधिकारी के साथ खुदरा औषधि विक्रेताओं/जिला केमिस्ट ऐसोसिएशन की आयोजित की गई मिटिंग की सूचना निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करें।

प्रारूप

जिले का नाम	कुल खुदरा औषधि विक्रेताओं की संख्या	जिला क्षय अधिकारी का नाम मय मोबाईल नं.	मिटिंग दिनांक	उपस्थित खुदरा औषधि विक्रेताओं की संख्या

Desktop/Computer/Local Disk(D)/SS and chhipa sir/chhipa sir/chhipa sir.docx

16/3/18

विदित रहे कि दिनांक 27.03.2018 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा जरिये विडियों कान्फ्रेंस उपरोक्त के संबंध में समीक्षा की जावेगी। अतः आप सभी संबंधितो से सामन्जस्य स्थापित कर जिले में स्थित सभी खुदरा औषधि विक्रेताओं/जिला केमिस्ट ऐसोसिएशन के द्वारा वांछित सूचना संबंधित विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, जिसके लिये पूर्व में निर्धारित प्रारूप दौराने बैठक उपलब्ध करा दिये गये थे एवं उपरोक्तानुसार वांछित सूचना भी भिजवाने की सुनिश्चितता करें। यदि किसी खुदरा औषधि विक्रेता के द्वारा उक्त अवधि में एन्टी टीबी औषधियों के विक्रय की सूचना शून्य है तो शून्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

नोटः यदि किसी भी स्तर पर पर आज दिनांक तक उपरोक्त के संबंध में सूचना प्रेषित नही की गई है अथवा सूचना शून्य है तो दिनांक 17.03.2018 से 21.03.2018 तक आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुये दिनांक 22.03.2018 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सुनिश्चितता करें।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के लिये किसी भी प्रकार की लापरवाही /अपूर्ण सूचना /खाना पूर्ति मात्र की सूचना प्रेषित करने के लिये संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेवार होगें।

16/3/18

औषधि नियंत्रक–प्रथम,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः डीसी/ए–2/2018/एसपी–1 दिनांकः 16.03.2018

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
3. औषधि नियंत्रक–द्वितीय, राजस्थान, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
4. राज्य क्षय रोग अधिकारी, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अवधि तक प्राप्त सूचना को इकजाई कर संगठन को अवगत करावें।
5. जिला क्षय रोग अधिकारी, समस्त जिला राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उनके स्तर पर प्राप्त सूचनाओं को जिले के संबंधित सहायक औषधि नियंत्रक को उक्त अवधि तक प्राप्त सूचना को इकजाई कर उन्हे अवगत करावें।
6. अध्यक्ष, राजस्थान जिला केमिस्ट एसोसिएशन, जयपुर को औषधि नियंत्रक–द्वितीय, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक डीसी/ए–2/26 दिनांक 17.01.2018 के क्रम में प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से सभी संबंधित खुदरा औषधि विक्रेताओं को राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति के लिये उनके योगदान के लिये प्रोत्साहित करें तथा इन निर्देशों को राजस्थान राज्य की जिला केमिस्ट एसोसिएशन व संबंधित खुदरा औषधि विक्रेताओं को अग्रेषित करें।
7. जिला केमिस्ट एसोसिएशन, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से सभी संबंधित खुदरा औषधि विक्रेताओं को राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति के लिये उनके योगदान के लिये प्रोत्साहित करें जिससे कि वांछित सूचना संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब उपलब्ध हो सकें।
8. आवक–जावक शाखा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त के संबंध में प्राप्त हार्ड कॉपी को डेस्क ए–2 को प्रेषित करें।
9. डेस्क ए–2 डेस्क को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सी–डेस्क से सामन्जस्य स्थापित कर प्राप्त रिपोर्टों (सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी) को इकजाई कर दिनांक 24.03.2018 को अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें एवं जिन जिलो से सूचना अप्राप्त हो उनकी जानकारी भी प्रस्तुत करें।
10. सी–डेस्क, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ए–2 डेस्क से सामन्जस्य स्थापित कर सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त सूचना को इकजाई कर हार्ड कॉपी में दिनांक 23.03.2018 तक डेस्क ए–2 डेस्क को प्रस्तुत करें एवं जिन जिलो से सूचना अप्राप्त हो उनकी जानकारी भी प्रस्तुत करें।
11. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय बैवसाईट पर प्रदर्शित कराते हुये सभी संबंधितो को ईमेल करावें।
12. कार्यालय प्रति/रक्षित पत्रावली।

16/3/18

औषधि नियंत्रक–प्रथम,
राजस्थान जयपुर

Desktop/Computer/Local Disk(D)/SS and chhipa sir/chhipa sir/chhipa sir.docx